सत्यमेव जयते

डॉ. ओ. पी. चौधरी, आई.एफ.एस.
Dr. O. P. Chaudhary, IFS
अध्यक्ष / Chairman

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड
ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
(Department of Animal Husbandry and Dairying)

सं. 3–1/2023–24/पी.सी.ए

दिनांकः 6 नवंबर, 2023

अपील

विषयः दीपावली पर पंचगव्य से बने उत्पादों के उपयोग कारने का परामर्श –

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 4 के तहत आमतौर पर पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा से बचाने के उद्देश्य से की गई थी, विशेष रूप से यह साझा करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड मूक पशुओं के लिए काम कर रहा है और उनके दर्द को दूर करने के लिए विभिन्न कानूनों को बनाकर और सरकार का समर्थन करते हुए बहुत से प्रयास कर रहा है।

आप सभी को ज्ञात ही होगा कि लम्पी की महामारी से हमारे देश के लाखों गौवंश प्रभावित हुए हैं और बहुत अधिक संख्या में उनकी मृत्यु भी हुई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51–ए (जी) में कहा गया है कि "वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।" अतः हम सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है कि सभी जीवों के प्रति सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करें।

गाय भारतीय संस्कृति में पुरातन काल से ही सम्माननीय एवं पूज्यनीय है। मानव जाति एवं पर्यावरण के लिए अत्यन्त उपयोगी होने के कारण गोवंश का महत्व और भी बढ़ जाता है। गाय और इसकी संतति –बछड़े एवं बैल हमारे ग्रामीण जीवन, विकास एवं कृषि कार्यों की रीढ़ हैं। गौशालाओं के कियाकलापों ने हमारे समाज में एक ऐसी चेतना पैदा की, जिससे लोगों में गाय के संरक्षण एवं देख–भाल का सेवा–भाव जागृत है। खासकर उस समय जब गाय और उसकी संतति मानव समाज की सेवा करते–करते थक कर निष्क्रिय और असमर्थ हो रही हैं और समाज के एक वृद्ध नागरिक जैसे अलग–थलग होने की स्थिति में है।

देश की समस्त गौशालाओं को आदर्श गौशाला के रूप में कार्य करते हुए अनुसंधान, विकास एवं प्रशिक्षण के अभियान से गौशालाओं के स्वावलम्बन की संरचना बनायी जा सकेगी। गोवंशीय पशुओं की क्षमता का सदुपयोग उनके गोबर–गोमूत्र से निर्मित उत्पादों को बाजार में तथा हर घर में तभी पहुॅचाया जा सकेगा जब हम सब मिलकर इस प्रयास को बढ़ायेंगे।

बोर्ड ने यह प्रयास किया है कि गौशालाएं एक ऐसा केन्द्र बनें, जहॉ किसानों के लिए ग्राम प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन हो और उसे देखकर जैवउर्वरक, जैवकीटनाशक आदि उत्पादों का निर्माण हो एवं उनका प्रदर्शन किया जाय ताकि जैविक खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ सके एवं मानव जीवन में पशुओं एवं पर्यावरण के योगदान का पूर्ण लाभ प्राप्त हो।

साथ ही प्रत्येक गौ गव्य यथा गोमय, गोमूत्र, गौदधि एवं छाछ, गौ–दुग्ध एवं गौ–धृत, पंचमहामृत को उपयोग कर गौशालाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनायें। पंचगव्य (गोबर, गौमूत्र, दूध, दही व घी) से विभिन्न उत्पाद यथा साबुन अंगराग, शैम्पू, धूप, अगरबत्ती, ममच्छर भगाने की कॉयल एवं लिकविड, फिनाईल, पेंट, पेप, गत्ता, डायरी, गमले, टाईल मूर्तियों आदि के व्यापक स्तर पर निर्माण व विपणन हेतु सहायता / प्रोत्साहन दें।

गौ आधारित उत्पादों के साथ साथ हवन एवं पूजन सामग्री में उपयोग में लायी जाने वाले कन्डों (उपलों,), गौमय धूपबत्ती, गौमय से बने लक्ष्मी–गणेश, गौमय हवन सामग्री, गोमय से बनी चरण–पदुका, चटाई एवं गौमय–दीप आदि का प्रयोग इस दीपावली के सुअवसर पर उपयोग में लाकर गौमाता की रक्षा करने में सहायतार्थ बनें।

सभी पशुप्रेमियों, गौ प्रेमियों, गौशालाओं एवं पशुकल्याण संस्थाओं से निवेदन है कि इस बार गौ रक्षा, गौ संवर्द्धन और गौ संरक्षण को ध्यान में रखते हुए दीपावली महोत्सव को गौमय–दीपावली के रूप में मनायें ताकि गौमाता की रक्षा में हम सभी भागीदार बन सके।

भवदीय,

(डॉ. ओ.पी चौधरी)
अध्यक्ष

सेवा में

1) सदस्य सचिव, सभी राज्य पशु कल्याण बोर्ड, को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही के प्रेषित।

2) निदेशक, पशुपालन विभाग, सभी राज्य सरकार एवं संघ प्रदेश को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही के प्रेषित।

3) **सभी मान्यता प्राप्त गौशालाओं को सूचनार्थ एवम** उचित **कार्यवाही हेतु प्रेषित**